

नामान्तरण संबंधी (अंचल अधिकारी के न्यायलय का)

आदेश फलक

(अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख से तक

जिला पटना अनुमंडल :- बाढ़, अंचल - अथमलगोला का केस का प्रकार

371/87/13-14 एवं वर्ष 2013

| आदेश की सं० | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे में तारीख सहित |
|------------------------|---|---|
| <p><u>18/05/13</u></p> | <p>श्री, श्रीमति <u>श्रीमती श्रीमती २१९८ पाणवान</u> पिता/पति <u>श्री. टी. टी. पाणवान</u> ग्राम <u>सिवान</u> थाना <u>अथमलगोला</u> जिला पटना अंचल अथमलगोला जिला ने निम्नलिखित जमीन बिक्री/दानपत्र/बख्शीशनामा बटवॉरा/विनिमय/उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त किया है तथा इसके नामान्तरण का आवेदन समर्पित किया है। अतः संबंधित तरीका सह कागजात को हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से नामान्तरण के विन्दु पर जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निर्देशित करें। अभिलेख दिनांक <u>31/05/13</u> को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: center;">जमीन का विवरण</p> <p>ग्राम / थाना नं० <u>सिवान 130</u> खाता नं० <u>649</u> खेसरा <u>545</u> रकबा <u>0.06/50</u></p> <p style="text-align: right;"><u>18/05/13</u> अंचलाधिकारी अथमलगोला</p> <p style="text-align: center;"><u>18/05/13</u></p> | <p><u>18/05/13</u></p> |

31/05/13

अभिलेख उपस्थापित किया गया। हल्का कर्मचारी को जॉच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ। प्रतिवेदन के अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवेदन जमीन विक्री पत्र / दानपत्र / वखशीशानामा खटवारा / विनिमय / उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त की गयी है। विक्रेता के नाम से जमाबन्दी कायम है / नहीं है। अतः नामान्तरण स्वीकृत के पूर्व आपति आमंत्रण हेतु क्रेता विक्रेता एवं आम महाल के नाम से सूचना निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 15/06/13 को उपस्थापित करें।

[Signature]
अंचलाधिकारी,
अथमलगोला

15/6/13

तामिला प्रतिवेदन प्राप्त
तामिला के उपरान्त श्री K. P. C. T. ने 5/12/12
पिता/पति *[Signature]* द्वारा आपति दर्ज कराया गया है। आपति का प्रकार *[Signature]* की सुनवाई की गई किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई आपति दर्ज नहीं किया गया है। अभिलेख दिनांक 25/07/13 को उपस्थापित करें।

[Signature]
अंचलाधिकारी,
अथमलगोला

25/12/13

हल्का कर्मचारी / अंचल निरीक्षक के द्वारा नामान्तरण से संबंधित जमाबन्दी का व्योरा नहीं किया गया है। विक्रेता के नाम से पंजी 2 में जमाबन्दी कायम नहीं है। इस सम्बन्ध में आवेदक द्वारा भी दावे के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के आभाव में नामान्तरण/दाखिल खारिज अस्वीकृत किया जाता है। ममला

व्योरा विवरण *[Signature]* वरिष्ठ
अंचलाधिकारी
अथमलगोला

[Signature]
अंचलाधिकारी
अथमलगोला